

प्रेषक,

प्रधानाचार्य,
गोंधी पॉलीटेक्निक,
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

महानिदेशक,
प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पत्रांक/ /Int. Sexual Harrasment Comm./ 2025-26

दिनांक: 22.11.2025

विषय: The Sexual Harassment of Women At Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) ACT, 2013 के तहत विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में Internal Complaint Committee गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक सम्बन्धित आपके कार्यालय पत्रांक: 818/महा0नि0/प्रा0शि0/2025 दिनांक 19.11.2025 के अनुक्रम में संस्था स्तर पर निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है।

The Sexual Harassment of Women At Workplace Internal Complaint Committee:

1. श्रीमती बबीता देवी	-प्रवक्ता हिन्दी संस्थागत	-अध्यक्ष	-मो0 8077908945
2. श्रीमती ईशिता शर्मा	-प्रवक्ता विद्युत संस्थागत	-सदस्य	-मो0 9897476464
3. श्रीमती श्रेया भारद्वाज	-स्थापना लिपिक संस्थागत	-सदस्य	-मो0 9871140290
4. श्रीमती सुमनलता	-छात्र लिपिक संस्थागत	-सदस्य	-मो0 9410650510
5. कु0 नैना	-कनिष्ठ लिपिक संस्थागत	-सदस्य	-मो0 7983873532

सादर।

भवदीय

(राजीव सिंह)
प्रधानाचार्य

पत्रांक/ 1420 /Int. Sexual Harrasment Comm./ 2025-26

दिनांक: 22.11.2025

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। (Email)
2. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पश्चिमी क्षेत्र, दौराला (मेरठ)। (Email)
3. श्रीमती बबीता देवी, अध्यक्ष को श्रीमती ईशिता शर्मा, सदस्य द्वारा उपरोक्त सम्बन्धित किये जाने वाले कार्यों का नियमानुसार पर्यवेक्षण/अवलोकन करने उपरान्त प्रधानाचार्य को भिन्न-भिन्न समयान्तराल सूचित करना सुनिश्चित करें।
4. श्रीमती ईशिता शर्मा, सदस्य को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सम्बन्धित महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, के निर्देशानुसार उपरोक्त प्रकरण सम्बन्धित कोई भी प्राप्त शिकायत (मोबाइल से/व्हाट्सएप्प से/लिखित रूप से एवं इत्यादि से) का तत्काल संज्ञान लेंगी एवं संस्था में एक कम्प्लेंट बॉक्स स्थापित कर सप्ताह में न्यूनतम दो बार कम्प्लेंट बॉक्स का निरीक्षण करेंगी तथा उपरोक्त समिति सम्बन्धित She-Box-Portal (<http://www.shebox.wcd.gov.in>) योन उत्पीडन की शिकायत आसानी से दर्ज कराने हेतु एवं WHL-181 (महिला हेल्पलाइन) 24X7 आपातकालीन का व्यापक प्रचार प्रसार श्रीमती बबीता देवी, अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में करना सुनिश्चित करेंगी।
5. श्रीमती श्रेया भारद्वाज, सदस्य, को इस निर्देश के साथ कि प्रसुति अवकाश से लौटने उपरान्त श्रीमती ईशिता शर्मा, सदस्य को उपरोक्त सम्बन्धित कार्यों में अपेक्षित सहयोग करेंगी।
6. श्रीमती सुमनलता, सदस्य, को इस निर्देश के साथ कि श्रीमती ईशिता शर्मा, सचिव को उपरोक्त सम्बन्धित कार्यों में अपेक्षित सहयोग करेंगी।
7. कु0 नैना, सदस्य, उपरोक्तानुसार सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
8. श्री सचिन कुमार कश्यप, प्रवक्ता यान्त्रिकी, संस्थागत, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त गठित समिति हेतु जारी इस पत्र को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(राजीव सिंह)

प्रधानाचार्य

गोंधी पॉलीटेक्निक
मुजफ्फरनगर